

२०२१/६५७

प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021

राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़ जिला-जोधपुर
प्रशासन गांवों के संग अभियान- 2021 कैम्प- शासोप
क्रमांक:- प्र.गां.के.सं.अ./2021/1498 दिनांक:- 29/11/21

प्रेषित:- तहसीलदार भोपालगढ़
जिला जोधपुर

विषय:- DILRMP के तहत की गयी गलत तरमीम दुरुस्ती करने बाबत। (एलआर एक्ट की धारा
131.136 के तहत)

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि ग्राम शासोप II पटवारी हल्का शासोप II
के खाता संख्या 90,452,1312 जिसके खसरा नं. 3400/2, 3400/3, 3400/3 रकबा 1.18.12 ए०
1.9870 0.4572 ए० किस शारानी A की तरमीम दुरुस्ती के तहत प्राप्त प्रार्थी के आवेदन पत्र,
पटवारी शासोप II भू अभिलेख निरीक्षक शासोप की जांच रिपोर्ट एवं
तहसीलदार भोपालगढ़ की स्पष्ट अनुशंसा के आधार एवं राजस्व रेकॉर्ड के अनुसार संलग्न नजरी नक्शा
अनुसार खसरा नक्शा भूमि में तरमीम दुरुस्ती की स्वीकृति दी जाती है एवं तहसीलदार भोपालगढ़ को
आदेशित किया जाता है कि तरमीम दुरुस्ती अनुसार नक्शे में इन्दाज करे।

नोट:- पटवारी, भू अभिलेख निरीक्षक जांच रिपोर्ट मय नजरी नक्शा एवं तहसीलदार भोपालगढ़ की
अनुशंसा रिपोर्ट इस निर्णय का भाग रहेगा।



Erash
29.11.21
(हवाई सिंह यादव)
प्रभारी अधिकारी
(उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़)
प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021

दिनांक:- 29/11/21

क्रमांक:- सम/1499

प्रतिलिपि:-

1. प्रार्थी श्री शारानी को सूचनार्थ।

Erash
28.11.21

(हवाई सिंह यादव)
प्रभारी अधिकारी
(उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़)
प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021



4/14/21
Bawer
L. R. D.